



2026:AHC:172370

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8411 सन् 2026

लुकमान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक के अधिवक्ता

: राम अधर यादव, सतेंद्र कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. श्री सतेन्द्र कुमार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री धीरज कुमार पाण्डेय, परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 748 सन् 2019, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है; अभिकथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता के पिता-सूचनाकर्ता द्वारा एक मिथ्या तथा तुच्छ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि पीड़िता के साथ विवाह के मिथ्या वचन पर बलात्संग किया गया। यह पीड़िता का अंगीकृत मामला है कि वह लगभग 23 वर्ष की वयस्क युवती थी तथा विगत दो वर्षों से आवेदक के संपर्क में थी और इस अवधि के दौरान दोनों के बीच सहमति से संबंध रहा। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टूटे हुए संबंध का परिणाम है तथा यह तब दर्ज कराई गई जब उनके बीच संबंध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बिगड़ गए। पीड़िता का पक्ष निरंतर बदलता रहा है और यह अभियोजन के मामले में अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.12.2019 को दर्ज कराई गई थी तथा सम्यक विवेचना के पश्चात अंतिम रिपोर्ट विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 3.2.2020 को प्रस्तुत की गई। परिवादी द्वारा एक विरोध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 3.2.2021 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। दिनांक 3.2.2021 के आदेश से व्यथित होकर, परिवादी ने अवर पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार करते हुए इस मामले में पुनः विवेचना का निर्देश दिया गया। पुनः विवेचना के पश्चात, विवेचना अधिकारी द्वारा पुनः अंतिम रिपोर्ट दिनांक 3.12.2022 को प्रस्तुत की गई। पुनः, परिवादी द्वारा विरोध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 22.5.2024 को स्वीकार कर लिया गया तथा आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु समनित किया गया। आगे यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आवेदक की अभिरक्षागत पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि दृक् साक्ष्य (ऑक्युलर वर्जन) की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती। यह भी निवेदन किया गया है कि दो वर्ष की सुदीर्घ अवधि के दौरान, पीड़िता आवेदक द्वारा उसके साथ किए गए अभिकथित यौन दुर्व्यवहार के संबंध में पूर्णतः मौन रही, जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हुआ कि आवेदक उससे विवाह नहीं करने वाला है। इसके अतिरिक्त, यौन संबंध के प्रथम अभिकथित कृत्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने तक दो वर्षों तक निरंतर चले संबंध के बीच का सुदीर्घ अंतराल यह स्पष्ट करता है कि मामला एक प्रेम-संबंध से संबंधित है। जब संबंध बिगड़ गए, तो पीड़िता के पिता द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध को आपराधिक अपराध का रूप दे दिया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया है कि आवेदक विवेचना तथा विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होगा। यह भी कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा एवं न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, तथापि वे तथ्यात्मक पहलू का खंडन नहीं करते।

7. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिस्पर्धी प्रस्तुतियों को सुना है एवं अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई., (2022) 13 एस.सी.सी. 764 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

“11. उपर्युक्त के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए निर्धारित किया गया है। संज्ञान लेने अथवा अभियुक्त का विचारण करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को आरोप पत्र अविलंब स्वीकार करना होता है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होती है। यह सम्यक रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्यतः समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है, न कि गिरफ्तारी वारंट की। यदि वह गिरफ्तारी वारंट जारी करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के अंतर्गत परिकल्पित कारणों को अभिलिखित करना होगा कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है अथवा समन की अवहेलना करेगा अथवा उसने समन की सम्यक तामील के प्रमाण के बावजूद उपस्थित होने से इनकार किया है। वस्तुतः उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी की प्रकृति की हैं।

12. जहाँ तक वर्तमान मामले तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का संबंध है, सर्वाधिक समुचित टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में हैं, उस अभियुक्त के संदर्भ में जो एक अजमानतीय अपराध में है तथा जिसकी अभिरक्षा विवेचना की अवधि के दौरान अपेक्षित नहीं थी। ऐसी स्थिति में, यह समुचित है कि अभियुक्त को जमानत पर मुक्त कर दिया जाए क्योंकि विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार न किए जाने अथवा अभिरक्षा में प्रस्तुत न किए जाने की परिस्थितियाँ स्वयं में उसे जमानत पर मुक्त किए जाने का हकदार बनाने हेतु पर्याप्त हैं। यह तर्क संक्षेप में यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अनेक वर्षों से मुक्त तथा स्वतंत्र रखा गया है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो मात्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसलिए कि आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना तथा उसे कारावास में डालना, जमानत प्रदान किए जाने के शासी सिद्धांतों के विपरीत होगा। हम इससे पूर्णतः सहमत हैं।”

9. **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2024) 11 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 398** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि जहाँ स्त्री द्वारा जानते हुए दीर्घ अवधि तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, वहाँ यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध केवल विवाह के अभिकथित वचन के कारण था। किसी स्त्री के पास पुरुष साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखने के, विवाह के वचन के अतिरिक्त, अन्य कारण भी हो सकते हैं, यथा पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत लगाव।

10. **प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, (2025) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 764** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रेक्षित किया है कि यह अकल्पनीय है कि परिवादिनी, अपनी ओर से स्वैच्छिक सहमति के अभाव में, अभियुक्त से मिलना जारी रखेगी अथवा उसके साथ दीर्घकालिक साहचर्य अथवा शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

11. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2528** के मामले में यह प्रेक्षित किया है कि अनेक अवसरों पर, इस प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया है कि असफल अथवा टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता का रंग दे दिया जाता है। बलात्संग का अपराध, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, केवल उन्हीं मामलों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए जहाँ वास्तविक यौन हिंसा, दबाव अथवा स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक बिगड़े हुए संबंध को बलात्संग के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को तुच्छ बनाता है, अपितु अभियुक्त पर अमिट कलंक तथा गंभीर अन्याय भी कारित करता है। ऐसे उदाहरण मात्र व्यक्तिगत मतभेद के दायरे से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग, पहले से ही भारी बोझ का सामना कर रही न्यायपालिका के लिए गहन चिंता का विषय है तथा निंदा की माँग करता है।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 (4) एस.सी.सी. 197** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ कोई स्त्री, संबंध की प्रकृति से पूर्णतः अवगत होते हुए, स्वेच्छया एक दीर्घकालिक संबंध में संलग्न होती है, तथा यह दर्शाने हेतु कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि ऐसा संबंध तथ्य के भ्रम अथवा प्रारंभ से ही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



असद्भावनापूर्वक किए गए विवाह के मिथ्या वचन से प्रेरित था, वहाँ पुरुष को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्संग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

13. **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 154** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के अंतर्गत प्रस्तुत वास्तविक मामलों की पहचान करने में, उक्त अपराध का गठन करने वाले आवश्यक तत्वों की पहचान करते हुए, अत्यंत सतर्क तथा सावधान रहना होगा। ऐसे वास्तविक मामलों को उन वादों से स्पष्ट रूप से पृथक किया जाना चाहिए जो सहमति से बने संबंध रखने वाले वयस्कों के मध्य विवाद तथा असहमति अथवा भविष्य में विचार परिवर्तन के कारण कटु हो जाने से उत्पन्न होते हैं।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रवीश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1055** के मामले में यह टिप्पणी की है कि यदि दो समझदार वयस्क दीर्घकालिक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छया सहमति से संबंध का चयन किया है तथा विवाह के वचन की तत्पश्चातवर्ती अपूर्ति किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगी।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2019) 9 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 608** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ विवाह का वचन मिथ्या है तथा वचन देने वाले का, वचन देने के समय ही, उसका पालन करने का आशय नहीं था, अपितु स्त्री को यौन संबंध हेतु राजी करने के लिए उसे छलने का आशय था, वहाँ “तथ्य का भ्रम” विद्यमान है, जो स्त्री की “सहमति” को दूषित करता है। तथापि, वचन का मात्र भंग होना मिथ्या वचन नहीं कहा जा सकता। अतः, मिथ्या वचन स्थापित करने हेतु यह प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा कि वचन देने वाले का, वचन देने के समय, अपने वचन को निभाने का कोई आशय नहीं था।

16. **सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2021) 18 एस.सी.सी. 517** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाते हुए कि अभियुक्त तथा पीड़िता के बीच का संबंध सहमति की प्रकृति का था और पक्षकार डेढ़ वर्ष की अवधि तक संबंध में रहे, तथा तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री से विवाह करने की अनिच्छा व्यक्त किए जाने पर प्रथम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई, प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कार्यवाहियों को अभिखंडित (क्वैश) कर दिया।

17. अग्रिम जमानत संबंधी विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों, अभियोग की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले की समस्त संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तथा यह पाते हुए कि आवेदक का मामला उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत हेतु प्रकरण बनता है।

18. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

- (i). उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक-**लुकमान** की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो-दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाएगा;
- (ii). आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;
- (iii). आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा; तथा
- (iv). आवेदक न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

19. शर्तों में से किसी के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 अगस्त, 2026

ललित शुक्ल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।